

प्रवेश सूचना 2024-25

शैक्षिक सत्र 2024 - 25 के लिए पी० एम० श्री केंद्रीय विद्यालय क्र० 2 आगरा में कक्षा-1 में प्रवेश के लिए ऑफलाइन पंजीकरण दिनांक 18.04.2024 (गुरुवार) प्रातः 10:00 बजे से 01.05.2024 (बुध वार) सांय 05:00 बजे तक होगा | प्रवेश सम्बंधित पंजीकरण फॉर्म तथा विस्तृत जानकारी <https://no2agracantt.kvs.ac.in> के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है | कक्षा-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 06 वर्ष होनी अनिवार्य है | आयु की गणना 31.03.2024 के अनुसार होगी | कक्षाओं में सीटों का आरक्षण के० वि० सं० के प्रवेश दिशा - निर्देशों 2024-25 के अनुसार किया जायेगा जो कि <https://kvsangathan.nic.in> पर उपलब्ध हैं |

कक्षा-1 में प्रवेश के लिए लाटरी दिनांक 04.05.2024 को की जाएगी |

List of Documents Required for Admission in Class 1

1. Offline Registration Form of Child
ऑफलाइन पंजीकरण फॉर्म
2. Birth Certificate of Child issued by Notified Area Council / Municipal Corporation / Extract about the birth from records of Village Panchayat, Military Hospital and service records (Part-II Order) of Defence personnel.
बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र (जो कि क्षेत्रीय समिति या नगर पालिका द्वारा जारी हो / ग्राम पंचायत के जन्म रिकॉर्ड कि सत्यापित प्रतिलिपि / रक्षा कर्मियों के लिए मिलिट्री अस्पताल या सर्विस रिकॉर्ड (पार्ट-2 आर्डर) .
3. Service Certificate (if applicable)
सेवा प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
4. Transfer Certificate, showing transfers in past 7 years i.e. after 1.4.2017 (if applicable)
स्थानांतरण प्रमाणपत्र, जिसमें पिछले 7 वर्षों (1.4.2017 के बाद) में हुए सभी स्थानांतरणों का ब्यौरा हो (यदि लागू हो)
5. Cast Certificate (SC/ST/OBC-NCL). In case of OBC-NCL Cast Certificate of Child is mandatory)
जाति प्रमाणपत्र (SC/ST/OBC-NCL). OBC-NCL की दशा में बच्चे का जाति प्रमाणपत्र आवश्यक है.
6. EWS/BPL Certificate (if applicable)
EWS/BPL प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
7. Local Address Proof (Ration Card/Gas Connection/Electricity Bill/Water Bill/Rent Agreement/Domicile Certificate/Voter Card)

- **Rent Agreement is not be considered as Address Proof for RTE Admissions.**

स्थानीय निवास प्रमाणपत्र (राशन कार्ड/ गैस कनेक्शन/ बिजली का बिल/ पानी का बिल/ निवास प्रमाणपत्र / वोटर कार्ड/ किरायानामा)

- **RTE के अंतर्गत आवेदन करने हेतु किरायानामा निवास प्रमाणपत्र के रूप में मान्य नहीं होगा**

8. Disability Certificate in case of CwSN Child

दिव्यांग बच्चे कि दशा में दिव्यंगता प्रमाणपत्र

9. Aadhar Card of Child (If not available Aadhar Enrolment No.)

बच्चे का आधार कार्ड (आधार कार्ड न होने की दशा Aadhar Enrolment No)

10. Blood Group Certificate of Child

बच्चे के रक्त समूह का प्रमाणपत्र